



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : registrar@ccsuniversity.ac.in

NAAC A++

Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक :- आर० ओ०/446/2025-26

दिनांक :- 20.03.2026

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. समन्वयक/निदेशक/विभागाध्यक्ष

विश्वविद्यालय परिसर,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:- नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक: 12.03.2026 के उपरान्त दिये गये निर्देश के अनुपालन में कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ०शि०), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के संलग्न पत्र दिनांक: 18.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक: 12.03.2026 को सम्पन्न बैठक में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर नशा रोकने हेतु उपाय/निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आपको उपर्युक्त वर्णित पत्र दिनांक 18.03.2026 की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

संलग्नक -यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी वेबसाईट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


कुलसचिव

प्रेषक,

ई - मेल/तत्काल

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 3167 /2025 - 26

दिनांक - 18 / 03 / 2026

विषय - नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.03.2026 के उपरान्त दिये गये निर्देश के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.03.2026 को संपन्न बैठक में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर नशा रोकने हेतु निम्नवत् उपाय/निर्देश दिये गये हैं -

1. जागरूकता कार्यक्रम - विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन। चिकित्सक, पुलिस या काउंसलर को आमन्त्रित कर नशे के नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान किया जाना।
2. रैली और पोस्टर अभियान - छात्रों द्वारा "Say No to Drugs" रैली का आयोजन। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में पोस्टर, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन।
3. काउंसलिंग और हेल्प - विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में काउंसलिंग सेल का गठन।
4. स्पोर्ट्स एक्टिविटी - खेल, योग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
5. सोशल मीडिया अभियान - इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या महाविद्यालय समूह में नशा मुक्ति से जुड़े संदेश और वीडियो प्रसारित/शेयर करना एवं छात्र - छात्राओं को ड्रग्स के नुकसान के बारे में जानकारी देना।
6. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में एण्टी ड्रग्स समिति का गठन।
7. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र - छात्राओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन एवं जरूरतमंद लोगों की मदद नशे की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है।

प्रश्रुत प्रकरण के संबंध में शासन की बैठक में दिये गये उपाय/निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई - मेल आई०डी० dhedegreevikas@gmail.com पर 03 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ० (शशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांक संख्या - डिग्री विकास/

3167-68

/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ हेतु प्रेषित -

डॉ० (शशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

o/c